लोक सुनवाई का कार्यवृत्त

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या [illegible] (पुराना संख्या 74) बरेली से सितारगंज अन्तर्गत 9.18 कि मी [illegible] दो लेन चौडीकरण एवं सुदृढीकरण के संबंध में दिनांक 28.02.13 प्रातः 11 बजे उपजिलाधिकारी कार्यालय सितारगंज में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। सुनवाई की कार्यवाही को आरम्भ करते हुये डा0 डी0के0 जोशी, क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0), उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर, उधमसिह नगर ने सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित जनता को अवगत कराते हुये अध्यक्ष महोदया से सुनवाई प्रारम्भ करने हेतु अनुमति देने का आग्रह किया तथा NHI के अधिकारियों से परियोजना से जनता को अवगत कराने हेतु आग्रह किया गया। इस कम में श्री चकेश जैन, परियोजना निर्देशक NHI द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड से NHI 74 जिसका नाम अब NHI 30 हो गया है, में NHI की यह परियोजना अमरिया मोड से पीलीभीत होते हुये बरेली तक के लिए है, जिसमें उत्तराखण्ड के मात्र 9.5 किमी तक NHI 30 की दो लेन रोड का Up gradation With pave shoulder का निर्माण कराया जाना है। अतः वर्तमान सडक को ही चौडा करके दो लाइन करने की योजना है। इसमें किसी प्रकार की भूमि अधिग्रहण नही की जायेगी। अमरिया मे मात्र दुकानों तक डिवाइडर बनाकर चार लेन करके सडक बनायी जायेगी, अग्रेत्तर शेष दो लेन रहेगी। सजरा मैप में जितनी भूमि सडक हेतु विभाग की होगी उसी मे चौडाकरण की कार्यवाही की जायेगी। उत्तराखण्ड में 9.5 किमी0 सडक के अन्तर्गत न तो जमीन अधिग्रहित की जायेगी, नही यहॉ कोई वन व अभ्यारण पडेगा। इस के बाद विस्तृत ईआईए रिर्पोट के अनुसार उन्होने परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार से परियोजना के बारे में जनता को अवगत कराने को कहा। NHI के पर्यावरणीय सलाहकार श्री विनोद कुमार गौतम ने कहा कि क्षेत्र का पर्यावरणीय मूल्यांकन कराया गया है, एवं उत्तराखण्ड मे सितारगंज से उत्तर प्रदेश की सीमा तक 9.5 किमी0 क्षेत्र मे अच्छा पर्यावरण है, 9.5 किमी0 क्षेत्र मे एनएच न तो हाटमिक्स प्लांट लगायेगा एवं नही स्टोन कशर लगायेगा। अतः पर्यावरणीय क्षति नही होगी, बल्कि क्षतिग्रस्त हो रही सडक के सुदृढीकरण से यातायात मे सुधार होगा, जाम आदि नही लगेगा। इससे वाहन प्रदूषण मे भी कमी आयेगी। सुनवाई में उपस्थित क्षेत्र के सांसद प्रतिनिधि श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा जानना चाहा कि सडक के किनारे बसे लोगों को यदि सडक के चौडीकरण से व्यवस्थापित किया जाता है, तो उसके लिए विभाग क्या मुआवजा देगा। NHI के अधिकारी श्री जैन द्वारा अवगत कराया गया कि सडक जो 9.5 किमी0 के लगभग है के दोनो ओर विभाग की जमीन पूर्व से ही उपलब्ध है। सुनवाई मे उपस्थित श्री अमर सिंह यादव ग्राम खुनसरा द्वारा प्रश्न किया गया कि इस सडक के चौडीकरण से जो पेड पौधे काट जायेगे। NHI उस संबंध में क्या नीति अपनायेगा। NHI के अधिकारी श्री जैन द्वारा अवगत कराया गया कि इस सडक के चौडीकरण करने से मात्र 313 पेड पौधे चिन्हित है, जिन्हे काटना पडेगा। इस पेडों की क्षति पूर्ति हेतु अन्यत्र पेड पौधे लगाने हेतु वन विभाग के निर्धारित नियमानुसार कार्यवाही करेगा।

अन्त में अपर जिलाधिकारी महोदया द्वारा जनता से आग्रह किया गया कि व्यक्ति /संस्था इस परिप्रेक्ष्य में अपने सुझाव/आपत्ति लिखित मे भी देना चाहे तो दे सकता है।

सुनवाई मे कोई मौखिक व लिखित आपत्ति प्राप्त नही हुयी। अन्त में डा0 डी के जोशी, क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अपर जिलाधिकारी महोदया से सभा विसर्जन हेतु अनुरोध किया गया।

अपर जिलाधिकारी महोदया द्वारा उपस्थित अधिकारियों/जनता का धन्यावाद करते हुये सभा विसर्जित की गयी।

सुनवाई के दौरान क्षेत्र के उपजिलाधिकारी श्री मनीश कुमार, तहसीलदार सुश्री ऋचा सिंह भी उपस्थित रही।

(निधि यादव)
अपर जिलाधिकारी, वि/रा0
उद्यमासिंहनगर

(डा0 डी.के. जोशी)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)
काशीपुर